न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 1287/2016
तारीख निर्णय– 27.10.2020

प्रार्थी :–

हका पुत्र वरदा उर्फ करमा जाति–मेगवंशी (भाम्बी) आयु–वयस्क निवासी–देवडो का गुडा, तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. भवंरसिंह पुत्र शेरसिंह आयु–वयस्क
2. माधुसिंह पुत्र शेरसिंह आयु–वयस्क
3. पवनकुंवर पत्नी शेरसिंह आयु–वयस्क
4. गुलाबकुंवर पुत्री शेरसिंह आयु–वयस्क
5. मृत सुरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के कायम मुकाम
   5/1 संगनकुंवर पत्नी सुरसिंह आयु–वयस्क
6. वजेसिंह पुत्र शिवनाथसिंह आयु–वयस्क
7. जवारसिंह उर्फ जब्बरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह आयु–वयस्क
8. जालमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह आयु–वयस्क
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से– वकील वकील बादशाह अली।
अप्रार्थी की ओर से–सरकारी पैराकार तहसीलदार देसूरी।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 27.10.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम–डायलाना खुर्द पटवार क्षेत्र डायलानाकलां तहसील–देसूरी जिला–पाली में प्रार्थी के पिता वरदा पुत्र मोती कौ[illegible]म् शिवनाथसिंह पुत्र अजेसिंह उर्फ प्रेमसिंह की सहखातेदारी आधि[illegible] नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी [illegible]0.62 /– विद्यमान [illegible] जिसमें प्रार्थी के पिता वरदा का 1/2 हिस्सा व शिवनाथसिंह [illegible] 1/2 हिस्सा विद्यमान[illegible]

पेज लगातार नम्बर 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है।

सम्वत् 2028 से 2031 के पश्चात् नये सेटलमेन्ट की कार्यवाही अमल में आयी एवम् सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपरोक्त वादी के पिता वरदा एवम् शिवनाथसिंह की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी पुराने खसरा नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 122 रकबा 0.5000 हैक्टर ही प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई एवम् बकाया रकबा नये खसरा नम्बर 124 में दर्ज कर आधे हिस्से के खातेदार शिवनाथसिंह के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी में सम्मिलित कर उनके नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई।

जबकि पुराने खसरा नम्बर 53 मी रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा का क्षेत्रफल 2.8000 हैक्टर बनता है जिससें 1/2 हिस्सा बराबर 1.4000 हैक्टर प्रार्थी वरदा की खातेदारी का बनता है एवम् इसी प्रकार 1/2 हिस्सा बराबर 1.4000 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज शिवनाथसिंह की खातेदारी का बनता है। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 1/2 हिस्सा अर्थात 1.4000 हैक्टर खातेदारी का दर्ज करने के बजाय सिर्फ 0.5000 हैक्टर ही खातेदारी का दर्ज किया एवम् शेष रकबा 0.9000 हैक्टर सलंग्न नक्शा ट्रेस की प्रति में बरंग लाल में दर्शित नये खसरा नम्बर 122 से लगता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम खसरा नम्बर 124 में बिना किसी आधार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मिला दिया है। ऐसा करने का सेटलमेन्ट विभाग का बिना कोई विधिक आधार के पिता वरदा के नाम दर्ज पुरानी खातेदारी को कम कर दिया।

यानि उक्त पुराने खसरा नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 122 रकबा 0.50 हैक्टर एवम् इनके पास लगती हुई स्थित नये खसरा नम्बर 124 में दर्ज की शेष भूमि रकबा 2.3000 हैक्टर सयुक्त रूपेण प्रार्थी के पिता वरदा पुत्र मोती भांबी या प्रार्थी एवम् मृत शिवनाथसिंह की या इनके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी की दर्ज की जानी चाहिए थी।

उपरोक्त रूपेण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्ती की जाना नितांत आवश्यक एवम् न्याय संगत है अन्यथा प्रार्थी के हक अधिकारो का हनन होगा व प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय पुराना एवम् न्याय राजस्व रिकोर्ड की प्रतियॉ को प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर सेटलमेन्ट विभाग की इन्द्राज संबंधित भूल व त्रुटी को सुधारे जाने हेतु पुराने खातेदारी अनुसार खसरा नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा के बराबर पुराने खातेदारी अनुसार नये खसरा नम्बर 122 रकबा 0.5000 हैक्टर एवम् इनके लगती हुई नये खसरा नम्बर 124 में शेष रकबा 2.3000 हैक्टर कुल रकबा 2.8000 हैक्टर प्रार्थी हका पुत्र वरदा उर्फ करमा

पेज लगातार नम्बर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का 1/2 हिस्सा के नाम खातेदारी की वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज किये जाने एवम् नक्शा में तरमीन किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 बावजूद नोटीस तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यावाही की गई। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डायलाना खुर्द के गत खसरा नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा जमाबन्दी 2028 से 2031 के खाता नम्बर 167 में प्रार्थी के पिता वरदा पुत्र मोती का नाम दर्ज है। एवं सह खातेदार शिवनाथ सिंह अजेसिंह दर्ज है किन्तु खाते में हिस्सा दर्ज नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसका जिम्मेदार वही विभाग हैं प्रार्थी द्वारा मृतक वरदा का एक मात्र वारिस होने बाबत कोई सबूत पेश नही किया है जिससे प्रार्थी को मृतक वरदा का वारिस नही माना जा सकता है।

बहस वकुलाया उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 53 मी. रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा (नये रकबा 2.8000 हैक्टर) में प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज शिवनाथसिंह का आधा–आधा हिस्सा विद्यमान है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटीवंश पुराने खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 53 मी. से बने खसरा में प्रार्थी के पिता को खसरा नम्बर 122 रकबा 0.5000 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज शिवनाथसिंह को नये खसरा नम्बर 124 रकबा 2.3000 हैक्टर की खातेदारी दर्ज हो गई। जिससे प्रार्थी के हिस्से की शेष भूमि 0.9000 हैक्टर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो गई। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेज जमाबन्दी सवत् 2028 से 2031 का अवलोकन करने पर खाता संख्या 167 में खातेदारी के मध्य हिस्सा नही दर्शाया गया है तथ ना ही प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्ताबेज प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज शिवनाथसिंह का आधा–आधा हिस्सा विद्यमान था। जिस संबंध में अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जबाव में उक्त संबंध में आपत्ति जताई है जिससे उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उसी तरह की त्रुटी का सुधार किया जा सकता है जिसमें पक्षकार द्वारा गलती होना स्वीकार किया हो। अर्थात प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र खातेदारी की घोषणा स[illegible] है जिससे उक्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अनुतोष [illegible] है।

उपयुक्त विवेचन में न्यायालय की राय में प्रार्थी [illegible] गत सेटलमेन्ट के पूर्व प्रार्थी की जमाबन्दी में दर्ज सुदा खातेदारी में 1/2 हिस्सा विद्यमान होना एवम् किस इन्द्राज की

पेज लगातार नम्बर 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लिपिकीय त्रुटी हुई है किसी प्रकार के राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों से साबित नही कराया है एवम् हस्ब धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी को ही सुधारा जा सकता है एवम् प्रार्थी ऐसी अविवादित इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी होना साबित नही करवा पाया है एवं धारा 136 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है अतएव प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत मेन्टनेबल नही होने से खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:03 IST
Reason: SelfAttested